न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर

बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या 281/21

वादी :–

1– रामगोपाल पुत्र भागुराम जाति मेघवाल

निवासी चारणो की ढाणी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–

1–तहसीलदार रियांबड़ी

2–पटवारी हलका अरनियाला तहसील रियांबड़ी

वकील वादी– श्री रामकिशोर पंचारीया,सुरेश जयपाल

दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :– 21/5/24

वादी का वाद निम्नलिखित पेश कर निवेदन है कि :–

1–यह है कि मौजा अरनियाला की सरहद में स्थित खसरा नंबर 484 रकबा 4.26 हैक्टर, खसरा नंबर 484/763 रकबा 0.87 हैक्टर,खसरा नबर 485 रकबा 1.41 हैक्टर, खसरा नबर 486 रकबा 1.21 हैक्टर,खसरा नंबर 487 रकबा 1.64 हैक्टर,खसरा नंबर 488 रकबा 1.87 हैक्टर,खसरा नंबर 489 रकबा 0.16 हैक्टर,खसरा नंबर 490 रकबा 2.29 हैक्टर, खसरा नंबर 490/719 रकबा 3.64 हक्टर खसरा नंबर 490/721 रकबा 2.34 हैक्टर वादी के खातेदारी अधिकार के पैतृक आये हुए है।

2–यह है कि सेटलमेंट में उक्त खेत के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गलती से व मानवीय भूल से रामगोपाल के स्थान पर पुष्कर दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का वास्तविक नाम रामगोपाल है। और यही नाम प्रार्थी के बाकी सभी दस्तावेजात मूल निवास,पहचान पत्र,राशनकार्ड,आधार कार्ड भामाशाह कार्ड तथा बैंक पास बुक में दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न है।

3–यह है कि बिनाय दावां अभी 10–15 रोज पूर्व जब वादी ने खतौनी की नकल निकलवाई तब वादी को पता चला कि वादी का नाम रामगोपाल के स्थान पर पुष्कर दर्ज कर दिया गया है जिसे दुरूस्त करने के लिए पटवारी हल्का से निवेदन किया तो उन्होने वाद प्रस्तुत करने बाबत कहा तब ग्राम अरनियाला अन्दर हदूद अदालत वाला पैदा हुआ है।

4–इस्तदुआ वादी यह है कि वादी का दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के निम्नलिखत तरीके से सादिर फरमायी जावें।

1–यह है कि वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम पुष्कर के स्थान रामगोपाल दर्ज किया जाकर म्यूटेशन दुरूस्त किया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावें।

2–यह है कि अन्य अनुतोष जो वादी के पक्ष में हो तो फरमायी जावें।

वकील वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से इस संबंध में रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार रियांबड़ी ने अपनी रिपोर्ट मय मौका पर्चा के प्रस्तुत की गई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि वादी के पिता के स्वर्गवास के बाद फोतगी नामान्तकरण में वादी का नाम पुष्कर दर्ज हो गया जबकि इनका सही नाम रामगोपाल है और दोनो एक ही व्यक्ति है। किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अधिकारी रियांबड़ी

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया गया कि वादी का नाम फोतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय पुष्कर दर्ज कर दिया गया जबकि इनके समस्त दस्तावेजात में रामगोपाल दर्ज है। वादी की भूमि पैतृक है और इनके भाई रामदेव का शपथ पत्र संलग्न है उनको कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए वादी का नाम पुष्कर के स्थान पर रामगोपाल दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात का अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से यह पाया गया कि वादी का नाम समस्त दस्तावेजात में रामगोपाल दर्ज है। वादी की भूमि पैतृक है। केवल फोतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का बोलता नाम पुष्कर दर्ज कर दिया गया।

समस्त विवेचन से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड को निम्न प्रकार से दुरूस्त किया जाता है :–

" मौजा अरनियाला की सरहद में स्थित खसरा नंबर 484 रकबा 4.26 हैक्टर, खसरा नंबर 484/763 रकबा 0.87 हैक्टर,खसरा नबर 485 रकबा 1.41 हैक्टर, खसरा नबर 486 रकबा 1.21 हैक्टर,खसरा नंबर 487 रकबा 1.64 हैक्टर,खसरा नंबर 488 रकबा 1.87 हैक्टर,खसरा नंबर 489 रकबा 0.16 हैक्टर,खसरा नंबर 490 रकबा 2.29 हैक्टर, खसरा नंबर 490/719 रकबा 3.64 हैक्टर खसरा नंबर 490/721 रकबा 2.34 हैक्टर वादी की खातेदारी भूमि में वादी का नाम पुष्कर के स्थान पर रामगोपाल राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें। "

तहसीलदार रियांबड़ी वादी के नाम दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर